न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –12/2018 जिला सीकर

1. मेनपाल पुत्र छोटूराम
2. शंकर पुत्र छोटूराम
3. सुरेन्द्र पुत्र छोटूराम
4. हरलाल पुत्र छोटूराम
5. रामपाल पुत्र छोटूराम
6. नर्बदा देवी पत्नी छोटूराम
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्रम चला, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।
7. बनारसी पुत्री छोटूराम पत्नी मोहन लाल जाट, निवासी खिचडों की ढाणी, किशनपुरा, जिला सीकर ।
8. मंजू पुत्री छोटूराम पत्नी शंकर जाति जाट, निवासी लाखनी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना, तहसीलस नीमकाथाना, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 26.4.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री मदन लाल कुडी
2. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक– 8.8.2018

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 26.4.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम चला, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 802, 924, 808, 923, 922, 920, 917, 918, 864, 868 में से सम्पर्क सडक ग्रम चला से नीमकाथाना टोल प्लाजा से पूर्व की ओर ढाणी चोखला की तरफ जाने वाला रास्ता मौके पर चालू होने तथा राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन नहीं होने से उक्त खसरा नम्बरान की कुल भूमि 2686 वर्ग मीटर में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59, 60 ,66 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार रास्ते के अंकन हेतु तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.4.2017 से तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा अभिशंसित प्रस्तावानुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेश में दर्ज खातेदान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने आदेश दिये हैं कि ''संलग्न् प्रस्ताव व नक्शा ट्रेश की निम्न खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण रास्ते पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शे में तरमीम की जावे ।

गैर मुमकीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदान के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेश आदेश का भाग रहेगा तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे'' ।

उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.4.2017 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 12.3.2018 को प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थीगण के पिता छोटूराम की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 864 है । अपीलान्ट्स खातेदार छोटूराम के वारिसान है । खातेदार छोटूराम का स्वर्गवास 7.11.2010 को हो गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक खातेदार छोटूराम के विधिक वारिसान अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं मौका देखे बिना केवल रेस्पोंडेन्ट की रिपोर्ट के आधार पर गैर मुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि खातेदार छोटूराम अपीलाधीन आदेश पारित होने से पूर्व ही फौत हो चुका था , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने छोटूराम के वारिसान को बिना सुने व बिना नोटिस दिये मृत व्यक्ति के खिलाफ अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स की भूमि खसरा नम्बर 864 में बुजुर्गान के समय से मकानात बने हुये हैं जिनके बीचों बीच में से खसरा नम्बर 864 के बटा नम्बर 864/1 डालते हुये गैर मुमकीन रास्ता दर्ज कर दिया जबकि मौके पर कोई सार्वजनिक रास्ता या अन्य कोई रास्ता प्रचलित नहीं है । उक्त रास्ता कायम करने से अपीलान्ट्स के पुश्तैनी मकानात टूटेगें जिससे उनके बेघर होने की नोबत आयेगी । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स की आराजी खसरा नम्बर 864 में वर्णित आराजियात के बीचों बीच में से होकर दीगर व्यक्ति जो खसरा नम्बर 871 व 878 के खातेदार है को लाभ पहुँचाने की गरज से रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुये अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश पारित कराया है । उनका कहना था कि यदि किसी पडौसी खातेदारों को रास्ते की आवश्यकता थी तो उन्हें धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में आवेदन करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रकिया अपनाये बिना, अपीलान्ट्स को बिना सुने व प्रकरण के तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये केवल तहसीलदार की रिपोट के आधार पर अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है , जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकःप.3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.16 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्र क्रमांकः राजसव/2016/2619–44 दिनांक 16.8.16 एवं राजस्व

/2016/4326–53 दिनांक 21.11.2016 की पालना में तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार नीमकाथाना के द्वारा अभिशंसित संलग्न् प्रस्तावानुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेश में दर्ज खातेदान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये हैं , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये एवं विपक्षी द्वारा इस संबंध में कोई विरोध नहीं करने से विलम्ब के संबंध मे लचिला रूख अपनाया जाकर न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण में विवाद तहसीलदार नीमकाथाना की अभिशंसा के आधार पर ग्रम चला स्थित आराजी खसरा नम्बर 864 के खातेदार छोटूराम की खातेदारी भूमि में से अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.4.2017 पारित कर गैर मुमकीन रास्ता कायम किये जाने संबंधी है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि पटवारी, आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा ग्रम चला के खसरा नम्बर 802, 924, 808, 923, 922, 920, 917, 918, 864, 868 की 2686 वर्ग मीटर भूमि में से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59,60, 66 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार रास्ते का अंकन किये जाने की सिफारिश अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने तहसीलदार नीमकाथाना के द्वारा अभिशंसित प्रस्तावानुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.4.2017 से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने एवं गैर मुमकीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में ही रहने के आदेश दिये गये । प्रस्तावित गैर मुमकीन रास्ते के संबंध में खसरा नम्बर 864 के खातेदार छोटूराम के वारिस अपीलान्ट्स के अलावा प्रस्तावित रास्ते के अन्य खसरा नम्बरान की भूमियो के खातेदारान द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है । प्रस्तावित प्रचलित रास्ता सार्वजनिक रूप से आवागमन के लिये उपयोग में आयेगा जिससे सभी व्यक्तियों को आने जाने की सुविधा मिलेगी । ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा गैरमुमकीन रास्ता कायम किये जाने संबंधी अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.4.2017 को उचित एवं विधिसम्यक पाते हैं एवं उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 8.8.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर